न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/2016

1. चननराम पुत्र कालूराम जाति बावरी निवासी चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. पूर्णराम पुत्र देवीलाल जाति बावरी निवासी चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. खेताराम पुत्र कालूराम जाति बावरी निवासी चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
3. लिछमा पुत्री कालूराम बेवा मंगलाराम जाति बावरी निवासी चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गोपीराम पुत्र देवीलाल जाति बावरी निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. हनुमान पुत्र देवीलाल जाति बावरी निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. तीजा पुत्री देवीलाल पत्नी बुधराम जाति बावरी निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. गुड्डी पुत्री देवीलाल जाति बावरी निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. कृष्णलाल पुत्र देवीलाल जाति बावरी निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 29.04.2016

उपस्थित—

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजाराम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1, 4, 5, 7
श्री गुरप्रीतसिंह अभिभाषक रेस्पो. 5, 6, 8

29/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 91, 53, 188, 92ए का मृतक कालूराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि कालूराम को बतौर नोन कलेमेंट चक 1 एच बड़ा के मु.न. 8 व 21 में कुल 5.364 है0 भूमि आवंटन की गई थी, जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा तथा माता की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें भी वादी का हिस्सा बनता है। इस प्रकार से प्रतिवादी का केवल माता पिता के हिस्सा की भूमि में से हक हिस्सा बनता है। वादीगण ने प्रतिवादी से बार बार कहा कि वे वादीगण को हकदार मानकर खाता विभाजन करवाकर किलावाईज रकबा वादीगण के नाम से दर्ज करवाये लेकिन उनके द्वारा इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 5 वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 29.04.2016 को वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय गलत किया है। वादीगण कालूराम की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। कालूराम को जीवों के आधार पर भूमि का आवंटन हुआ था। अधी.न्यायालय ने पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यों का सही विवेचन किये बिना ही वादीगण का वाद खारिज कर दिया जबकि वादीगण ने साक्ष्य से वाद को साबित किया था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद स्वीकार किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2015(2) डीएनजे राज. पेज 578, 2011(1) डीएनजे राज. पेज 441 की नजीरे पेश की।

20/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा वाद पेश करने पर प्रतिवादी ने जबाव दावा पेश किया जिसके आधार पर तनकीयात कायम की गई। अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वाद खारिज किया गया हैं। वादीगण/अपीलार्थीगण ने अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर वादीगण का किसी प्रकार से मामला बनता हो। अधी.न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.04.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का दावा खारिज किया गया है जबकि दावा डिक्री योग्य था। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण हेतु 4 तनकियात कायम की। जिस पर साक्ष्य संग्रहित एवं विधि की व्याख्या कर दावा खारिज किया है। अपील मीमों में जो तनकियात विनिश्चय की आपत्तियां जाहिर की है उसका सन्दर्भ विधि एवं साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर अधी.न्यायालय द्वारा तनकीयात विनिश्चय विधि सम्मत किया जाना पाया गया। तद्नुसार अधी.न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर